संख्या- 3/2020/ 259 **/65-1-2020-07/2020**

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 01.04.2020

विषय- कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत वर्तमान में प्रभावी लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक कार्यों/सेवाओं की पूर्ति हेतु दिव्यांग कार्मिकों को ड्यूटी से मुक्त रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत वर्तमान में प्रभावी लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक कार्यों/सेवाओं की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में ड्यूटी पर बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। दिव्यांगजन को कोविड-19 के खतरे से बचाने के लिए अपेक्षित है कि इस प्रकार की आवश्यक ड्यूटी के परिप्रेक्ष्य में दिव्यांग कार्मिकों को ड्यूटी से मुक्त रखा जाय। उक्त व्यवस्था को अपने विभाग में प्रभावी रूप से लागू कराने हेतु अधिनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश कृपया अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

संख्या- 3/2020/ 259(1) **/65-1-2020** तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0।

आज्ञा से

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।